राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ. 13(10)(5)खा.वि. / आवंटन / खाद्य सुरक्षा / 2017 जयपुर, दिनांक 02.04.2018

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची अन्तर्गत नाम समावेशन आदेश में संबंधित श्रेणी के अंकन बाबत।

महोदय,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत लाभार्थियों की वर्तमान सूची से लाभार्थियों की श्रेणी स्पष्ट नहीं होती। अतः कृपया भविष्य में उपखण्ड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले नाम समावेशन आदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा समावेशन सूची अन्तर्गत निर्धारित श्रेणियों में से चयनित लाभार्थी पर लागू होने वाली श्रेणी का अंकन संबंधित नाम समावेशन आदेश (श्रेणी संख्या 5 से 31 में से कोई एक या एकाधिक संयुक्त रूप से लागू) में करें। यह आदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में भविष्य में सम्मिलित होने वाली श्रेणियों पर भी लागू होगा।

संलग्नः **नवीनतम सूची 02.04.2018**

भवनिष्ठ,

(मुग्धा सिन्हा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
1. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश के क्रम में विभागीय पोर्टल पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची अन्तर्गत नाम समावेशन पेज पर जिलों को संबंधित श्रेणी (वर्तमान अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 के अनुसार श्रेणी संख्या 5 से 24) के अंकन की सुविधा उपलब्ध करावें।
6. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
7. रक्षा पत्रावली।

शासन सचिव

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

मांक:एफ 1[illegible](10)(5)खा.वि./खाद्यान्न/2013 जयपुर, दिनांक 02.04.2018

अधिसूचना

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 के तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिये राज्य सरकार द्वारा समावेशन (पात्र)–निष्कासन (पात्र नहीं) हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक **20.07.2017** को अधिक्रमित करते हुए समावेशन–निष्कासन संबंधी निम्नानुसार संशोधित मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:–

समावेशन सूची

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
क्र. सं.	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी
1	अन्त्योदय परिवार	अन्त्योदय परिवार
2	बीपीएल परिवार	बीपीएल परिवार
3	स्टेट बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार
4	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायगा:– A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना H. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा:– A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. महानरेगा में 2009–10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार

	वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो।	J. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार K. भूमिहीन कृषक L. सीमान्त कृषक M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो।
6	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
7	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
8	एकल महिलाऍं	एकल महिलाऍं
9	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11	कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार	—
12	कचरा बीनने वाले परिवार	कचरा बीनने वाले परिवार
13	शहरी घरेलू कामकाजी महिलाऍं	—
14	गैर सरकारी सफाई कर्मी	—
15	स्ट्रीट वेण्डर	—
16	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
17	साईकिल रिक्शा चालक	साईकिल रिक्शा चालक
18	पोर्टर (कुली)	पोर्टर (कुली)
19	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
20	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
21	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी
22	—	लघु कृषक
23	आस्था कार्डधारी परिवार	आस्था कार्डधारी परिवार
24	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
25	एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार	एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
26	सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार	सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार

27	बहु–विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति। (21 श्रेणियाँ)	बहु–विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति। (21 श्रेणियाँ)
28	पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार	पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
29	डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ	डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएँ
30	निसंतान वृद्ध दंपति	निसंतान वृद्ध दंपति
31	वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है	वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है

निष्कासन सूची

शहरी क्षेत्र **निष्कासन (exclusion) श्रेणी** **(पात्र नहीं)**	**ग्रामीण क्षेत्र** **निष्कासन (exclusion) श्रेणी** **(पात्र नहीं)**
1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी /स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। 4. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर) 5. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर) 6. एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार। 7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।	1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। 4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। 5. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो। 6. **ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।**

नोटः—

1 समावेशन प्राथमिकता श्रेणी (क्रम संख्या 1–31 तक) के सभी चिन्हित लाभार्थी खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र होंगे। निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।

2 राज्य सरकार द्वारा इन पात्रता शर्तों में समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

3 आम–जन की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट http://www.food.rajasthan.gov.in/ पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है।

(अंजू राजपाल)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त जिला प्रभारी मंत्रीगण, राजस्थान सरकार।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला प्रभारी सचिव, राजस्थान।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), राजस्थान।
11. पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर ।
12. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
14. निदेशक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कराया जाकर प्रति विभाग को भिजवायें।
15. विभागीय प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
16. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव